बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमण्डल, छपरा

पारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 152/09–10

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय, आन्दर (सीवान)

(ख) अंकेक्षणान्र्तगत लेखावधि – वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,पटना

(घ) अंकेक्षण अवधि में नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय – श्री डी0 एन0 चौधरी,2001–02 से 03–04 जिला विकाश आयुक्त ,सीवान।

(ड.) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम , पदनाम तथा कार्यकाल –

1. श्री जय कुमार द्विवेदी, प्र0 वि0, पदा0 16.4.2000 से 24.7.2001
2. श्री राम किशोर राय, प्र0 वि0, पदा0 25.7.2001 से 16.8.2003 तक
3. सोहन प्र0 यादव,प्र0 वि0 पदा0 16.8.2003 से 14.4.2004 तक
4. श्री विजय कुमार चौधरी ,प्रधान सहायक 01.02 से 03–04 तक
5. श्री चन्द्रमान मिश्र,नाजीर 01–02 से 03–04

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले

पदा0 एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम – श्री चन्द्रमान मिश्र,नाजीर

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री हरिशंकर प्रसाद सिन्हा, व0 अ0 –2

2. श्री सुदीश प्रसाद साहा ,व0 अ0 –2

3. श्री संजय कुमार व0 अ0 –2

4. श्री परमानन्द प्रसाद व0 अ0 –2

(ज) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – दिनांक 25.5.2009

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दिनांक 7.9.2009

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 70 दिन औसत।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत

अभिलेखों की सूची – प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15.9.60 मे निहित निर्देशानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रखंड विकास कार्यालय आन्दर के लेखा का अंकेक्षण कार्य समपन्न किया गया।

पूर्व अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के सत्यापन हेतु अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन की लिखित माँग की गई। किन्तु अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित नही किया गया। विभागीय उच्चाधिकारीयों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ,आन्दर द्वारा जिला कोषागार सीवान से निकासी एवं जमा राशियों का कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये कोषागार अनुसूची एवं कम्प्यूटर मोनीटर (स्क्रीन) से कार्यालय विपत्र–पुस्त /कोषागार वाहक पंजी एवं रेमीटेन्स पंजी (विप्रेषण पंजी) से कोषागार सत्यापन शत्प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया ।

(ङ) वित्तीय परिशंसा –

इस कार्यालय को विभिन्न शीर्षो में प्राप्त आंवटन एवं किये गये व्यय की वार्षिक विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट –''आ'' पर उल्लिखित है, जिसके अवलोकन से ज्ञात् होगा कि वर्ष 2002–03 के शीर्ष 2515/101 पंचायत के वेतन मद में कुल रू0 2,20,947=00 आवंटन से अधिक व्यय किया गया था, वर्ष 2003–04 में शीर्ष 2515/102 सामुदायिक विकास के वेतन मद में कुल रू0 80562=00 एवं शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा के महगाई भत्ता मद में कुल रू0 4398=00 आंवटन से अधिक निकासी की गई थी। इस प्रकार आंवटन से अधिक निकासी पर रोक के बाबजूद अधिक व्यय किया गया था, जो कि बिहार बजट मैन्यूअल के नियम 138 एवं 139 तथा बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम–II के सवर्था प्रतिकूल एवं अनियमित है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारीयों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आंवटन से अधिक अनियमित भुगतान की गई राशियों का अपने स्तर से जाँच कर एवं अतिरिक्त आवंटन वित्त विभाग से प्राप्त कर आवंटन से अधिक व्यय को नियमित करा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

निम्नांकित वर्षवार विभिन्न शीर्षो में प्राप्त आंवटित राशियों के व्ययोपरान्त दिखाई गई अवशेष राशि कुल रू0 19,04,436=00 प्रत्यार्पित किया गया था या नही इसकी कोई पत्र या प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जो इस प्रकार है –

वित्तीय वर्ष		प्रत्यार्पण हेतु अवशेष राशि
2001–02	–	11,89,131=00
2002–03	–	5,23,409=00
2003–04	–	1,91,896=00

कुल योग – 19,04,436=00

अतः कुल रू0 19,04,436=00 अवशेष राशि के प्रत्यापर्ण से संबंधित जाँच हेतु ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय के अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, एवं जाँचोंपरान्त फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

सीवान के विभिन्न जिला कार्यालयों द्वारा चेक से प्राप्त कुल राशि का आय का वर्षवार विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट –''आ'' –(iii) पर उल्लिखित है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि मात्र आय अंकित की गई है, संबंधित व्यय एवं अवशेष राशि अंकित नही किया गया है, जिसे कार्यलय द्वारा इसे प्रस्तुत नही किया गया।

(i) भौतिक सत्यापन में बैंक खातों में पायी गयी अधिक अन्तर की कुल राशि 3,13,194=89 पै0 रोकड़–पुस्त के आय में दर्ज योग्य :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86(4) एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार,पटना के ज्ञापांक 603 दि0 29.1.76 के अनुसार इस कार्यालय के अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि 25.05.09 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ,आन्दर द्वारा सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के कुल रूपया 1,41,26,534=66 पै0 रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न था।

क्र0 सं0	विवरण	राशि	वास्तव में दर्ज राशि	अधिक अन्तर की राशि आय में दर्ज योग्य	अभ्युक्ति
1	कुल 20 बैंक खातों में जमा राशि का कुल योग्य	1,19,54,809=06	1,22,68,003=95	3,13,194=89	सूद की राशि
2	अभिश्रव	15,49,185=54			
3	अग्रिम	5,55,394=46			
4	एकल ताल	66901=31			
5	अंतर राशि	244=29			
		1,41,26,534=66			

इस प्रकार विवरण में दशाई गयी बैंक खातों में जमा राशि से कुल रू0 3,13,194=89 अधिक पाई गयी,इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि भौतिक सत्यापन के बाद की तिथि में सूद की राशि रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दर्ज कर दी गयी है।

साथ ही कुल रू0 244=29 दर्ज विवरणी में अन्तर की राशि के संबंध में बताया गया कि यह वर्षो पूर्व से चली आ रही है, जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) अंकेक्षणान्तर्गत लेखा अवधि के सामान्य रोकड़ पुस्त का क्रमशः दिनांक 1.4.2001 का प्रारभ्भण रोकड़ एवं 31.3.2004 का संवरण रोकड़ कुल रू0 10029983=07 कुल रू0 5090010=66 पै0 था जिसका विस्तृत विवरण निम्न है –

मद का नाम	राशि	
1 विभिन्न बैंको के खातो में जमा	9492140=91	4561642=97
2 अभिश्रव	363942=87	399182=90
3 अग्रिम	117270=46	114465=46

एकल ताले में	56384=54	14475=04
पूर्व से चली आ रही अन्तर की राशि	244=29	244=29

कुल योग– 10029983=07 5090010=66

इस प्रकार दूसरे शीर्ष एवं मद में आंवटित राशि का विचलन कर अभिश्रव मद में एक बड़ी राशि रखी गई थी। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सरकार से उस मद में आंवटन प्राप्त कर अभिश्रवों को सांमजित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(iii) इस कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त बल का विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'आ' पर उल्लिखित है, जिसके अवलोकन से ज्ञात् होगा कि स्वीकृत बल के अनुरूप ही कार्यरत बल है।

भाग–I

(2) कुल रू0 1,51,302=00 विभिन्न योजनाओं में आपूर्त्ति की गई निमार्ण सामग्री पर बिक्री कर की राशि वसूली योग्य :–

माननीय सांसद/विधायक योजना एवं सुनिश्चित (सम्पूर्ण ग्रामीण) रोजगार योजना के अभिलेखो,अभिश्रवों ,एम0 बी0 इत्यादि की जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि विभिन्न योजनाओं के निमार्ण कार्य में विभिन्न सामग्रियों का क्रय स्थानीय स्तर पर अधिसूचित दर से अधिक दर पर बिना पक्का विजक के (कैश मेमो) क्रय किया गया था, जिसपर न तो बी0 एस0 टी0/सी0 एस0 टी0 संख्या भी दर्ज नही पाया गया और न तो नियमतः अभिकर्त्ता/आपूर्त्तिकर्त्ता के विपत्र एवं अभिश्रव पर ही श्रोत पर बिक्री कर की अधिसूचित दर से कुल रू0 1,51,302=00 काट कर भुगतान करना था, जो नही किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट–''इ'' पर उल्लेखित है।

इस प्रकार वित्त वाणिज्य –कर विभाग के वित्त अधिनियम 1981 की धारा 25(क) अधिसूचना एस0 ओ0 100 एवं 102 दि0 10.8.2001,132 एवं दि0 16.10.2002 एवं वाणिज्य कर आयुक्त एवं सचिव का पत्रांक बिक्री संशोधन 06–2001–5014 पटना ,दिनांक 18.10. 2002 के अनुसार कार्य संवेदको/आपूर्त्तिकर्त्ता के विपत्र से श्रोत पर ईट का 8 प्रतिशत की दर से एवं बालू का 6 प्रतिशत की दर से कुल रू0 1,51,302=00 कटौती नही कर जमा नही किया गया था, तथा नही अलग से चालन द्वारा जमा किया गया था और नही बिक्री कर कार्यालय से कर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी नही प्राप्त किया गया था।

अतः विभागीय उच्चाधिकारीयों का ध्यान उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि कुल रू0 1,51,302=00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर लेखा

शीर्ष 0040 बिक्री कर चालान द्वारा अपने स्तर से जमा कराकर वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(3) कुल रू0 22,539=00 बीज निगम की अग्रिम की राशि वसूली योग्य :–

वेतन –भुगतान पंजी की जाँच संबंधित अभिलेखों से करने के क्रम में पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव,प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी,आन्दर अपने पूर्व में पदस्थापित अन्य प्रखण्ड से स्थानान्तरित होकर आन्दर प्रखण्ड में माह मार्च 2001 में योगदान किये थे। वेतन भुगतान पंजी के पृष्ट सं0 206 पर श्री यादव का अन्तिम वेतन–प्रमाण–पत्र दर्ज थी,जिसके अनुसार बीज निगम से कुल रू0 22539=00 अग्रिम ली गई थी,जिसका समायोजन इनके वेतन से एक मुस्त काटकर करना था, परन्तु अंकेक्षण समापन तिथि तक अग्रिम का समायोजन नही किया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि अग्रिम की वसूली की कार्यवाई की जा रही है। यह भी विदित है कि श्री यादव दिनांक 31.7.2009 को सरकारी सेवा से सेवा निवृत हो गये।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से श्री यादव ,प्र0 कृ0 पदा0 सेवानिवृत से अग्रिम की वसूली कर संबंधित शीर्ष अन्तर्गत जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(4) कुल रू0 21,000=00 सूद की राशि वसूली योग्य :–

विधायक योजना के अभिलेखों की जाँच संबंधित पंजियों से करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि योजना सं0 2/03–04 में अभिकर्त्ता श्री रामाकान्त साह, कनीय अभियंता को अनियमित रूप से दि0 5.1.04 कों 2,00000=00 रू0 प्रथम अग्रिम एवं

दि0 31.1.04 को 1,15,000=00 रू0 द्वितीय अग्रिम

रू0 3,15,000=00 अग्रिम का भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ई'' पर उल्लेखित है। जिसके अनुसार बिना कार्य प्रारभ्भ किये ही तथा बिना कार्य की मापी पुस्त में अंकित किये ही प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम का भुगतान निजी कार्यवंश निजी लाभ पहुचाने के लिए किया गया था, जबकि बिना कार्य प्रारभ्भ किये दूसरा अग्रिम का कोई प्रावधान नही है।

इस प्रकार कुल 10 माह कुल रू0 3,15,000=00 अभिकर्त्ता द्वारा निजी उपयोग में राशि रखकर बैंक सूद प्राप्त किया गया एवं नाजिर रसीद सं0 506080 के द्वारा दि0 11. 12.04 को मात्र मूल राशि 3,15,000=00 जमा की गई।

अतः 8 प्रतिशत बैंक दर से ब्याज दर कुल रू0 2100=00 प्रति माह की दर से 10 माह का 21,000=00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर संबंधित जमा शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(5) प्रखण्ड के मकान भाड़े (सरकारी आवास) की कम कटौती की गई अन्तर की कुल राशि 2955=80 पै0 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515/102 एवं 105 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच संबंधित पंजियों से करने के क्रम में ज्ञात् हुआ कि बिहार सरकार के अपर सचिव एवं भवन निमार्ण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक –189(अ) दिनांक 24.11.90 के आदेशानुसार राजपत्रित पदाधिकारी को आवंटित सरकारी आवास का भाड़ा रू0 102=00 एवं पर्यवेक्षक का 58=40 था,परन्तु उसके स्थान पर प्रखण्ड विकास पदा0 का 38=00 प्रखण्ड कृषि पदा0 का 27=00 एवं प्र0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक का 21.40 ही काटा गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –''उ'' पर उल्लेखित है। जिसके अनुसार

1. श्री राम किशोर राय, प्रखण्ड विकास पदा0,आन्दर से	–	1600=00
2. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, प्रखण्ड कृषि पदा0 से	–	1099=00
3. श्री रामचन्द्र प्रसाद , प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से	–	256=80
	कुल योग –	2955=80

कम कटौती क गई मकान भाड़ा की अन्तर की राशि कुल रू0 2955=00 वसूल कर संबधित जमा शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(6) निमार्ण कार्य में रोड़ रौलर एवं डीजल मोबील हेतू अनियमित भुगतान की गई कुल राशि रू0 4481=00 वसूली योग्य :–

विधायक योजना मद के अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि योजना सं0 1/01–02 मीरपुर ईटकरण से खोमारी चौधरी के घर तक मिट्टी–करण एवं ईटकरण के अभिकर्त्ता की रामाकान्त साह, कनीय अभियंता थे एवं जिसकी प्राक्कलित राशि 1,92,000=00 थी, जिसके मेजरमेन्ट –बुक में दिखाई गयी एस्टीमेटेड आईटम सं0 – 3 में – Intial Rolling of original Ground coumpacted by road Roller in all Kinds of soil –

E/I -1x1400’-0’’x14’-0’’-19600 5ft-@ Rs-17=85% sft=3499=00 था एवं श्री राम औटो–

आई0 बी0 पी0 पम्प डीलर ,सीवान का दिनांक 24.3.02 का अभिश्रव जिसमें रोड रौलर का न0 –2030 दर्ज था।

डीजल 40 लीटर @ 17=56   702=00

मेबील – 1 लीटर   90=00

ग्रीस – @ 95=00 190=00

योग– 982=00

परन्तु रोड रौलर मालिक या ड्राईवर का कोई पत्र या अभिश्रव या भाड़ा की राशि दर्ज का अभिश्रव इत्यादि नही पाया गया और न ही चालक का हस्ताक्षर ही पाया गया। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आन्दर के पत्रांक शून्य दिनांक 24.12.03 के द्वारा जिला स्तर पर विशेष तकनिकी जाँच में यह प्रमाणित होने पर कि प्रखण्ड के योजनाओ में जिसमे योजना सं0 1/01–02 भी शामिल था रोड़ रौलर का उपयोग नही हुआ था, जिसकारण रोड रोलर हायर चार्ज की कुल राशि 5364=00 उप विकास आयुक्त सीवान को वापस भेजी गई थी, परन्तु उसमें इस योजना की राशि शामिल नही थी।

अतः रोड रोलर का हायर चार्ज रू0 3499=00 एवं उसका

डीजल, मोबील,ग्रीस भुगतान की राशि कुल रू0 982=00

कुल योग – 4481=00

अभिकर्त्ता से कुल रू0 4481=00 अबिलम्ब वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष के रोकड़ पुस्त के आय भाग में लाकर एवं प्रशासी विभाग से आदेश प्राप्त कर आंवटन से सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण विभाग को सूचित किया जाय।

(7) कुल रू0 31965=46 दी गई अग्रिम की राशि समायोजन हेतू लंबित :–

अग्रिम पंजी की जाँच संबधित पंजियों से करने के क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.3.2004 तक विभिन्न व्यक्तियों को कुल रू0 31965=46 विभिन्न प्रयोजन हेतू अग्रिम की राशि का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ऊ'' पर संलग्न है।

जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अर्थात् गत 5 वर्षो में भी रू0 31965=46 अग्रिम की राशि का समायोजन नही हुअस था जो अनियमित है।

अतः प्रशासी विभग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाई कर कुल रू0 31965=46 अग्रिम की राशि के समायोजन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(8) शीर्ष 2515 पंचायत के अन्तर्गत एकादश वित्त आयोग की कुल राशि 20,66,273=00 के व्यय की उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नही करने के कारण व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 पंचायत के सहायक रोकड़–पुस्त की जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 12.4.02 को प्रखण्ड विकास कार्यालय ,आन्दर द्वारा प्रखण्ड के कुल 18 विभिन्न पंचायतों को एकादश वित्त आयोग की कुल रू0 22,66,273=00 का भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि
1	मझवलिया	117526=00	
2	सकरा	117509=00	
3	अर्कपुर	113900=00	
4	स्हसराँव	99798=00	
5	आजाब	107534=00	
6	मानपुर पतेही	131310=00	
7	पतार	132079=00	
8	चदौली	118762=00	
9	नरेन्द्र पुर	108754=00	
10	मियाँ के भटकन	119013=00	12.4.2002
11	विढाय	97593=00	12.4.2002
12	मरौली	110892=00	12.4.2002
13	गड़ार	107618=00	12.4.2002
14	बलिया	103190=00	12.4.2002
15	भवराजपुर	112797=00	12.4.2002
16	जयनोर	134200=00	12.4.2002
17	जमालपुर	111243=00	12.4.2002
18	आन्दर	122555=00	12.4.2002

कुल – रू0 20,66,273=00

उपरोक्त के व्यय से संबधित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायतों द्वारा प्रखण्ड कार्यालय को नही दिया गया था। जिससे अंकेक्षण में व्यय की जाँच नही की जा सकी ,जबकि नियमतः उपयोगिता प्रमाण से संबंधित अभिलेख प्रखण्ड कार्यालय में जमा करना था । इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि सम्बन्धित योजनाओं के अभिलेख एम0 बी0 अभिश्रव ,मस्टर रौल इत्यादि की माँग संबंधित पंचायत सचिवों से की गई है, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया, जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि संबंधित योजना पूर्ण हुई या अपूर्ण है तथा अवशेष राशि भी प्रखण्ड में जमा (वापस) नही किया गया था।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि राशि

का उपयोग उनके उदेश्य में हुआ था। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तब तक कुल रू0 2066273=00 की व्यय की राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) योजना अभिलेख के साथ अभिश्रव एवं मस्टर रौल नही रहने के कारण कुल राशि 9,52,000=00 का व्यय आपत्तिअन्तर्गत :–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अभिलेखों के जाँच क्रम में ज्ञात् हुआ कि विभिन्न योजनाओं में योजना के निमार्ण कार्य से सम्बन्धित मस्टर रौल तथा अभिश्रव अभिलेख में संलग्न नही किया गया था, अर्थात् बिना उक्त प्रमाण के ही विपत्र का भुगतान कर दी गई थी, जबकि नियमतः उन कागजातों की (अभिश्रव एवं मस्टर रौल) अभिलेख संलग्न रहना चाहिए था। इस प्रकार कुल रू0 9,52,000=00 का भुगतान अनियमित प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट –''ए'' पर संलग्न है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इस संबंध में अपने स्तर से उन योजनाओं से सम्बन्धित अभिश्रव एवं मास्टर रॉल उपलब्ध कराकर एवं उसकी जाँच कर अभिलेख के साथ शामिल किया जाय। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय, तबतक कुल रू0 9,52,000=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(10) कुल रू0 4,06,000=00 सामान इन्दिरा आवास की अपूर्ण योजना के कारण अग्रिम असमायोजित :–

सामान्य इन्दिरा आवास योजना के अभिलेखों की जाँच संबधित पंजियों से करने के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2002–03 में कुल 2,10,000=00 एवं

वर्ष 2003–04 में कुल 1,96,000=00

कुल योग – 4,06,000=00 का विभिन्न योजना में अग्रिम का भुगतान किया गया था वे योजनाएँ अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अपूर्ण पाई गयी, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –''ऐ'' पर उल्लेखित है।

सामान्य इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों को 6 माह अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर लेना था, किन्तु लम्बी अवधि के बीत जाने तथा 75 से 90 प्रतिशत अग्रिम के भुगतान के उपरान्त भी उक्त निमार्ण कार्य अपूर्ण पाये गये। इस प्रकार लक्ष्य एवं उदेश्य की पूर्त्ति नही हो सकी। इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम के अन्यत्र उपयोग की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता।

अतः उर्पयुक्त परिपेक्ष्य में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि योजना पूर्ण कराकर अग्रिम के समायोजन की दिशा में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाई कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(11) कुल रू0 3,16,000=00 की सुनिश्चित रोजगार की अपूर्ण योजना के कारण अग्रिम असमायोजित :–

सुनिश्चित रोजगार योजना से संबधित अभिलेखों की जाँच क्रम में ज्ञात् हुआ कि कुल 8 योजनाओं की प्राक्कलित स्वीकृत राशि 3,16,000=00 अग्रिम के रूप में देने के बाद भी अंकेक्षण तिथि तक योजना अपूर्ण पाई गई, जबकि अभिकर्त्ता के द्वारा की गई एकरारनामा के अनुसार 6 माह के अन्दर ही योजना पूर्ण करनी थी, अबतक योजना अपूर्ण रहने से उदेश्य की पूर्ति नही हुई। योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट –''ओ'' पर उल्लेखित है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से योजना पूर्ण कराकर अग्रिम के समायोजन की दिशा में आवश्यक कार्यवाई कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(12) लॉग बुक मे अभाव में कुल रू0 2718=30 का डीजल पर व्यय आपत्तिअन्तर्गत :–

शीर्ष 2515/102 सामुदायिक विकास के वाहन रखरखाब से संबंधित अभिश्रवों की जाँच संबंधित पंजियों से करने के क्रम में पाया गया कि गाड़ी संख्या BRD/7817 एवं BRD/9138 का लॉग–बुक लिखित माँग करने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। डीजल के अभिश्रवों पर गाड़ी चालक का हस्ताक्षर भी नही था, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	विपत्र सं0/वर्ष	प्रतिष्ठान/भुगतान प्राप्त कर्त्ता का नाम,पता/गाड़ी सं0	समान का नाम	अदद	दर	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि	अभ्युक्ति
1	2204	161/ 02–03	श्री राम औटो ,आन्दर बी0 आर0 डी0 7817	डीजल	20 लीटर	@ 22=97	459=40	31.3.03	
2	2205	161/ 02–03	श्री राम औटो ,आन्दर बी0 आर0 डी0 7817	डीजल	20 लीटर	@ 22=97	459=40	31.3.03	
3	2207	161/ 02–03	श्री राम औटो ,आन्दर बी0	डीजल	20 लीटर	@ 22=97	459=40	31.3.03	

			आर0 डी0 7817						
4	2210	161 / 02–03	श्री राम औटो ,आन्दर बी0 आर0 डी0 7817	डीजल मोबील	10 लीटर 1 लीटर	@ 22=97	229=70 88=00	31.3.03 31.3.03	
5	1729	143 / 02–03	श्री राम औटो ,आन्दर बी0 आर0 डी0 7817	डीजल	38 लीटर	@ 22=97	613=00	6.3.03	
6	1465	143 / 02–03	श्री संत सर्विस स्टेशन,तरवा, सीवान बी0 आर0 डी0 9138	डीजल मेबील पानी	30 लीटर 1 लीटर 2 लीटर		329=40 70=00 10=00	6.3.03 6.3.03 6.3.03	

कुल योग – 2718=00

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि डीजल का उपयोग उनके क्रय के उदेश्य में वास्तव में हुआ था। अन्यथा की स्थिति में जिम्मेवार व्यक्ति से राशि की वसूली कर कोषगार में जमा किया जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक कुल रू0 2718=00 डीजल पर व्यय राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

भाग –II

(13) कुल रू0 4,90,797=00 बैंक के बचत खातों में प्राप्त सूद की राशि प्रशासी विभाग को वापसी योग्य :–

विभिन्न योजनाओं से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्तों के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न बैंको के बचत खातों में योजनाओं की राशि काफी समय से बैकों में पड़ी हुई थी, जिससे प्राप्त सूद की राशि अंकेक्षण अवधि दि0 31.3.04 तक कुल रू0 4,90,797=00 थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है–

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	प्राप्त कुल सूद की राशि	अभ्युक्ति
1	बुनियादि इंदिरा आवास	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,तियाँव	4783	302800=00	ग्रा0 वि0 अभिकरण,सीवान में कोषागार में जमा हेतु भेजा गया परन्तु अबतक जमा नही की गई थी।
2	बुनियादि इंदिरा आवास	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,तियाँव	—	25795=00	
3	उग्रवाद	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,तियाँव	4785	20154=00	
4	सुनिश्चित रोजगार योजना	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,आन्दर	4782	51120=00	
5	विधायक/सांसद मद	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,तियाव	3883	71260=00	
6	सामान्य इन्द्रा आवास	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक ,तियाव	4784	19668=00	

कुल योग – 490797=00

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से कुल सूद की राशि 4,90,797=00 प्रशासी विभाग से आदेश प्राप्त कर आदेशानुसार या तो प्रशासी विभाग को वापस किया जाय या आवंटन के रूप में रोकड़ पुस्त के आय भाग में लाया जाय। अनुपालन की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(14) गबन की वसूली गयी राशि कुल रू0 13,700=00 कोषागार में जमा योग्य :–

शीर्ष 2515/101 पंचायत के सहायक रोकड़–पुस्त नाजीर रसीद एवं संबंधित अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री राम सागर राम, सेवा निवृत पंचायत सेवक के

उपादान की राशि से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आन्दर के ज्ञापांक –51 दिनांक 22.3.04 द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में नाजीर रसीद द्वारा दि0 22.3.04 को कुल रू0 13700=00 वसूली गई थी, जो गबन की राशि थी। जिसे नियमतः संबंधित जमा शीर्ष अन्तर्गत में अविलम्ब जमा करना था,परन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक उक्त राशि 13,700=00 कोषागार में जमा नही किया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से कुल रू0 13700=00 संबंधित गबन की राशि जमा शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमाकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(15) विधायक योजना मद में रॉयलटी की राशि 3544=00 कोषागार में जमा योग्यः–

शीर्ष सांसद/विधायक के योजना पंजी की जाँच संबंधित पंजियों से करने के क्रम में पाया गया कि योजना पंजी में विभिन्न योजनाओं में लघु खनिज स्वामित्व (रॉयल्टी) की राशि कुल रु0 3044=00 श्रोत पर कटौती दर्ज की गई थी, परन्तु वास्तव में संबंधित अभिकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता से रॉयल्टी की राशि वसूल कर संबंधित जमा शीर्ष 0853 में कोषागार में जमा नहीं किया गया था , जिसका विस्तृत विवरण निम्न हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना सं0/वर्ष	अभिकर्त्ता का नाम	मापीपुस्त में दर्ज राशि	कोषागार में जमा योग्य रायल्टी की राशि
1	रकौली प्रा0 वि0 में दो कमरे का निर्माण	1/2002–03	श्री रामाकान्त साह, कनीय अभि0 आन्दर	2,44,000=00	882=00
2	मध्य विद्यालय में दो कमरे का निर्माण	1/2003–04	श्री रामाकान्त साह, कनीय अभि0 आन्दर	3,80,000=00	1664=00
3	ग्रमोही में पंचायत भवन का निर्माण	3/2003–04	श्री रामाकान्त साह, कनीय अभि0 आन्दर	2,60,000=00	998=00

कुल योग– 3544=00

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है, कि विशेष सचिव खनन एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक 1373 एम0,पटना दिनांक 30.7.01 के आलोक में रॉयल्टी की कुल राशि 3544=00 जमा शीर्ष 0853 में जमा कराकर, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(16) भण्डार का भौतिक सत्यापनः–

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 138(iv) एवं 143 के अनुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष के जून एवं दिसम्बर माह में किया जाना चाहिए था, जिससे सामानों की वस्तुस्थिति की सही जानकारी हो सके, परन्तु ऐसा नहीं किया गया था।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन बताया गया कि भण्डार पंजी के सामानों का भौतिक सत्यापन करा लिया जाएगा।

अतः प्रशासी पदाधिकारी अपने स्तर से भण्डार का भौतिक सत्यापन अविलम्ब कराकर वित्त (अं0) विभाग को सूचित किया जाय ताकि सरकारी सामानों का दुरुपयोग न हो सके।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता वं0 अं0–2

(2)

परिशिष्ट –"अ"
प्रा0 अं0 प्रति0 की कंडिका 1(ट) से संबंधित

(1) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखो की सूची :– वर्ष

1. विपत्र पुस्त / कोषागार वाहक पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
2. सभी शीर्षो का सहायक रोकड़–पुस्त	2001–02 से 2003–04 तक
3. सामान्य रोकड़–पुस्त	2001–02 से 2003–04 तक
4. वेतन भुगतान पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
5. नाजीर (नकद प्राप्ति) रसीद बही	2001–02 से 2003–04 तक
6. यात्रा–भत्ता भुगतान पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
7. यात्रा–भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति	2001–02 से 2003–04 तक
8. आकस्मिक पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
9. विभिन्न शीर्षो का अभिश्रव गार्ड फाईल	2001–02 से 2003–04 तक
10. रेमिटेन्स पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
11. सुनिश्चित रोजगार योजना से संबधित केश रेर्कडस, एम0 बी,इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
12. सांसद / विधायक योजना से संबधित केश रेकर्डस,एम0 बी,इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
13. इंदिरा आवास योजना (सामान्य) से संबधित केश रेकर्डस,एम0 बी,इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
14. छात्र वृत्ति भुगतान पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
15. योजना पंजी	2001–02 से 2003–04 तक
16. सामान्य अपग्रेडेशन योजना से संबंधित केश रेकर्डस इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
17. प्रोत्साहन भत्ता योजना से संबंधित केश रेकर्डस इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
18. मातृत्व अनुदान योजना से संबंधित केश रेकर्डस इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
19. जिला योजना से संबंधित केश रेकर्डस इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक
20. निरीक्षण संचिका योजना से संबंधित केश रेकर्डस इत्यादि	2001–02 से 2003–04 तक

(2) अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–

1. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन
2. एकादश वित्त आयोग की पंचायतो की दी गई राशियों का उपयोगिता प्रमाण।
3. सेवा–पुस्त

4. गाड़ी लॉग–बुक
5. स्थाई सामानों का भड़ार पंजी
6. सुनिश्चित रोजगार योजना में मजदूरी में दिखाई गयी चावल का भड़ार पंजी।
7. बोरिंग पाईप भण्डार पंजी।